राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ( )HRMS/प्रमुवसं/2024–25/ 100 दिनांक : 08.11.2024

निमित,

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
वन विभाग, राजस्थान

विषय :– FMDSS 2.0 के अन्तर्गत HRMS Module में Data Updation के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत FMDSS 2.0 के अन्तर्गत HRMS Module में समस्त अधिकारियों/ कार्मिकों के डेटा अपडेशन हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाकर सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत/पदस्थापित समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के डेटा अपडेशन का कार्य पूर्ण करने हेतु समय समय पर निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् उक्त मॉड्यूल में अपडेट किए गए डेटा के सत्यापन हेतु सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ दिनांक 04.09.2024 से 08.10.2024 तक अरण्य भवन जयपुर में बैठकों का आयोजन किया गया। उस समय अधिकांश कार्यालयों का डेटा अपडेशन का कार्य अपूर्ण एवं/या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एक अंतिम मौका दिया जाकर उनके अधीन कार्यरत/ पदस्थापित समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के सम्पूर्ण डेटा को सही रूप से उक्त मॉड्यूल में एक माह की समयावधि में अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त एक माह की समयावधि समाप्त हो चुकी है। परन्तु HRMS Module में डेटा अपडेशन का कार्य अभी भी शत प्रतिशत पूर्ण नहीं हुआ है। बारम्बार निर्देशित किए जाने के उपरान्त भी कई आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त कार्य में बिल्कुल भी रूचि नहीं ले रहे है। जो कि अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है तथा इस कार्यालय के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना भी है।

सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं व्यक्तिशः ध्यान देकर अपने अधीन कार्यरत/पदस्थापित समस्त अधिकारियों/कार्मिकों का संपूर्ण

Signature valid
Digitally signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2024.11.08 09:46:05 IST
Reason: Approved

राजकीय ई–मेल

डेटा सही रूप से उक्त पार्टल पर दिनांक 20.11.2024 तक अनिवार्य रूप से अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 20.11.2024 के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता (मय टीम) द्वारा, प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को, रेण्डम तरीके से चयनित किसी एक संभाग मुख्यालय पर पहुंच कर उस संभाग अधीन समस्त DDOs के साथ समीक्षा बैठक की जाकर, उनके द्वारा उक्त मॉड्यूल में अपडेट किये गये डेटा का अवलोकन एवं सत्यापन किया जायेगा। उस दौरान डेटा अपडेशन कार्य अपूर्ण एवं/या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा डेटा अपडेशन से संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

भवदीया

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ( )HRMS/प्रमुवसं/2024–25/ दिनांक : .11.2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त मॉड्यूल में किए गए डेटा अपडेशन की प्रगति की समीक्षा करना एवं उक्त निर्देशों की कठोरता से पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, अरण्य भवन जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.08 09:46:05 IST
Reason: Approved